

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित, भोपाल
ऋण आवेदन-पत्र

अनिवार्य जमा के विरुद्ध ऋण हेतु आवेदन-पत्र

(अधूरा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा)

अध्यक्ष,

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक

कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित, भोपाल

महोदय,

मैं

क्रमांक

आपकी समिति का सदस्य हूँ/मुझे घरेलू कार्य हेतु रु.

(रूपये) ऋण की आवश्यकता है। यह राशि मेरे खाता
क्रमांक शाखा में जमा करने का कष्ट करें।

मैं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक का स्थाई/अस्थाई सदस्य हूँ एवं वर्तमान में बैंक के मुख्यालय/शाखा/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में कार्यरत हूँ।
मेरी सेवा एवं वेतन संबंधी जानकारी निम्नानुसार है।

1. वेतन :

अ- मूल वेतन रु.
ब- महंगाई भत्ता रु.
स- अन्य भत्ता रु.

योग रु.

1. सेवा संबंधी जानकारी :

- अ- जन्मतिथि
ब- सेवा ग्रहण तिथि
स. स्थाई होने की तिथि
द. सेवानिवृत्ति की तिथि

(अघतन माह का (स्व. प्रमाणित) वेतन पत्रक संलग्न है।)

मेरी जानकारी के अनुसार समिति में मेरी अनिवार्य जमा राशि रु. लगभग जमा है।

मुझे ऋण संबंधी समिति के समस्त नियम एवं शर्तें मान्य हैं तथा मैं नियमानुसार अनिवार्य जमा की राशि की कटौती
हेतु सहमत हूँ। आपसे निवेदन है कि कृपया मुझे उपरोक्तानुसार ऋण रु.

(रूपये) स्वीकृत करने का कष्ट करें।

गवाह :

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
पता
.....
दिनांक
.....

ऋणग्रहीता :

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
पता
.....
दिनांक
.....

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. : भोपाल
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला-सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.

द्वारा

अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक
कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित,
भोपाल

: ऋण किश्त काटने का अधिकार पत्र :

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल से अनिवार्य जमा के विरुद्ध ऋण प्राप्त करने हेतु मेरे द्वारा आवेदन दिया गया, जिसे मेरे नियोक्ता द्वारा म.प्र. को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट की धारा 42 के अंतर्गत अग्रेषित करने के परिप्रेक्ष्य में मैं म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. को शपथपूर्वक यह अधिकार पत्र लिखकर देता हूँ कि मेरे द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल से दिनांक को प्राप्त किये गये ऋण राशि रु. की नियमित किस्त राशि रु. प्रत्येक माह मेरे वेतन से कटौती कर संस्था को भेजी जाये। किसी कारण वश किसी माह का वेतन न मिलने की स्थिति में वेतन मिलने वाली माह में ऋणदाता समिति द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र अनुसार राशि कटौती कर समिति को भेजी जाये।

मेरे सेवानिवृत्/मृत्यु या सेवामुक्त करने/त्यागपत्र देने, जैसी भी स्थिति हो मेरे नियोक्ता /म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल को यह अधिकार रहेगा कि मुझे या मेरे आश्रितों को प्राप्त होने वाले ग्रेच्यूटी, समूह बीमा, अवकाश नगदीकरण या अन्य मदों से प्राप्त योग्य राशि में से समिति की देय राशि की कटौती कर समिति को बकाया ऋण भेज देवें।

मैं यह शपथपूर्वक वचन देता/देती हूँ कि यह अधिकार पत्र बिना म.प्र.राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपला की लिखित अनुमति के बापिस नहीं होगा।

गवाह :

हस्ताक्षर
पूरा नाम
पद
स्थान
दिनांक

शपथकर्ता (ऋणी)

हस्ताक्षर
पूरा नाम
पद
स्थान
दिनांक

DEMAND PROMISSORY NOTE

Place.....

Date.....

On demand, I.....

Promise to pay the madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank karmachari Sahakari Sakh Samiti Maryadit,
Bhopal or order the sum of Rs. (Rupees)

..... only) with interest thereon at the rate of %
per annum for value received

Rs.

Revenue
Stamp
Rs. 2.00

Borrower :-

Signature.....

Name

Address

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. : भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला-सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.

द्वारा

अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य सहाकारी बैंक
कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित,
भोपाल

: ऋण किश्त काटने का अधिकार पत्र :

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल से व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने हेतु मेरे द्वारा आवेदन दिया गया, जिसे मेरे नियोक्ता द्वारा म.प्र. को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट की धारा 42 के अंतर्गत अग्रेषित करने के परिप्रेक्ष्य में मैं म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. को शपथपूर्वक यह अधिकार पत्र लिखकर देता हूँ कि मेरे द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल से दिनांक को प्राप्त किये गये ऋण राशि रु.

की नियमित मासिक किश्त राशि रु प्रत्येक माह मेरे वेतन से कटौती कर संस्था को भेजी जाये। किसी कारण वश किसी माह का वेतन न मिलने की स्थिति में वेतन मिलने वाले माह में ऋणदाता समिति द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र अनुसार राशि कटौती कर समिति को भेजी जाये।

मेरे सेवानिवृत्/मृत्यु या सेवामुक्त करने/त्यागपत्र देने, जैसी भी स्थिति हो मेरे नियोक्ता /म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल को यह अधिकार रहेगा कि मुझे या मेरे आश्रितों को प्राप्त होने वाले ग्रेचूटी, समूह बीमा, अवकाश नगदीकरण या अन्य मदों से प्राप्त योग्य राशि में से समिति की देय राशि की कटौती कर समिति को बकाया ऋण भेज देवें।

मैं यह शपथपूर्वक वचन देता/देती हूँ कि यह अधिकार पत्र बिना म.प्र.राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपला की लिखित अनुमति के वापिस नहीं होगा।

गवाह :

(ऋणी)

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पूरा नाम.....

पद

पद

स्थान

स्थान

दिनांक

दिनांक

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित, भोपाल

ऋणी द्वारा निष्पादित वचन-पत्र

1. मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता यह स्वीकार करता/करती हूँ कि म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या.
भोपाल द्वारा स्वीकृत मेरे ऋण प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र उल्लेखित शर्तों एवं संस्था के उपनियमों के अधीन रूपये
शब्दों में रू. मुझे प्राप्त हो गये हैं।
2. मैं स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग मेरे प्रार्थना पत्र में उल्लेखित उद्देश्यों के लिए करने हेतु वचनवद्ध हूँ।
3. मैं वचन देता हूँ कि प्रत्येक माह किश्त के रूप में रु. राशि एवं ब्याज की यह रकम उस दर पर जिसे समिति समय-समय पर निश्चित करे चुकाऊँगा/चुकाऊँगी।
4. मैं वचन देता/देती हूँ कि निश्चित तिथि अथवा तिथियों पर ऋण चुकाता कर दूँगा/दूँगी तथा समिति के वर्तमान उपनियमों का पालन करने हेतु बाध्य रहूँगा/रहूँगी।
5. मैं वचन देता/देती हूँ कि मेरे उत्तराधिकारी साधक निवर्तक कार्यपाल समिति के नियमों के अधीन बकाया ऋण चुकाने के लिए बाध्य रहेंगे।
6. लगातार तीन महा की किश्त न चुकाने पर समिति का अधिकार होगा कि ब्याज सहित बकाया राशि एवं अन्य व्यय एक मुश्त में चुकाने हेतु बाध्य कर सकेगी।
7. किसी भी कारणवश वेतन से ऋण राशि का मासिक चुकाया नहीं हो पाता है तो मैं सीधे ही समिति ऋण की रकम एवं ब्याज देने हेतु बाध्य हूँ।
8. मेरे मृत्यु/सेवानिवृत्त सेवा से त्याग पत्र/पदच्युत अथवा मासिक किश्त चुकाने में भूल करने के कारण समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि समिति में किसी भी रूप में निहित मेरे/हित/रकमों को बिना मुझे अथवा उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि को सूचित किये बिना जब्त कर लें।
9. मैं म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल को यह अधिकार देता हूँ/देती हूँ कि मेरी मृत्यु/सेवानिवृत्त/त्यागपत्र/पदच्युत भूल होने की स्थिति में मेरे वेतन, बकाया वेतन, बोनस ग्रेच्यूटी अथवा अन्य देय जिसकी मुझे पात्रता हो कि राशि से समिति के बकाया ऋण एवं ब्याज की रकम वसूल कर समिति को भुगतान कर दें।
10. मैं वचन देता/देती हूँ कि जब तक ऋण और ब्याज की रकम अथवा कोई अंश बिना चुकता रह जायेगा तब तक मैं वेतन से भुगतान करने वाले अधिकार वापस नहीं लूँगा/लूँगी अथवा उसको निरस्त नहीं कर सकूँगा/सकूँगी।

(2)

11. मैं समिति को अधिकार देता हूँ/देती हूँ कि ऋण भुगतान में चूक करने की स्थिति में यह मेरे किसी भी अथवा बैंक की शाखाओं में मेरे नाम से खोले गये बचत खाते करंट अकाउंट, रेकर्डिंग जमा खाते फ़िक्स डिपाजिट एवं लॉकर्स में रखी गई सामग्री से अथवा मेरे चल एवं अचल संपत्ति से ऋण की बकाया राशि वसूल कर लें।
12. यदि मेरे द्वारा निर्धारित समय पर ब्याज ऋण किश्त की अदायगी नहीं की गई तो ऐसी स्थिति में कालातीत ऋण राशि पर समिति को एक प्रतिशित दण्ड ब्याज प्रभारित करने की अधिकार होगा।
13. यदि मैं उक्त स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र में उल्लेखित प्रयोजन हेतु खर्च नहीं करता हूँ तो ऐसी स्थिति में समिति को अधिकार होगा कि वह एक मुश्त बकाया ऋण राशि वसूल कर सकेगी।
14. मैं समिति को अधिकार देता/देती हूँ कि वह मेरे द्वारा आवेदन पत्र में आवेदित ऋण राशि में आवश्यकतानुसार संशोधन व सुधार कर सकेगी।

गवाह :

ऋण आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पूरा नाम

पद

पद

पदस्थी (कार्यालय) स्थान

पदस्थी (कार्यालय) स्थान

मुल्य रु.

श्रीमान प्रबंधक महोदय
म.प्र. राज्य सहकारी बैंक
कर्म. सह. साख. समिति मर्या.
मुख्यालय, भोपाल

डेविट अथॉरिटी

मेरे द्वारा संस्था से लिये गये ऋणों की किश्तें यदि किसी कारण वश
(आयकर कटौती अग्रिम इत्यादि) किसी माह बैंक द्वारा मेरे वेतन से काटकर संस्था
में जमा नहीं की जाती है तो उक्त माह की किश्तें मेरे अनिवार्य अमानत खाते को नामे
कर वसूल कर लेवें ।

गवाह का नाम :

ऋणी का नाम :

पदस्थी स्थान :

पदस्थी स्थान :

दिनांक :

दिनांक :

(श्रीमान) डेविट अथॉरिटी

प्रतीक्षा नियमों पर आधारित
नियम विकलान विभाग द्वारा
नियम विकलान विभाग द्वारा दिया गया अनुमति
नियम विकलान विभाग द्वारा दिया गया अनुमति

घोषणा-पत्र

मेरे द्वारा संस्था से अनिवार्य जमा के विरुद्ध ऋण/व्यक्तिगत ऋण/मध्यावधि ऋण/उच्च शिक्षा ऋण जिसकी भुगतान अवधि क्रमशः 60/84/180/120 माह है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। नियोक्ता बैंक म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल में मेरी सेवानिवृत्ति दिनांक को है इस प्रकार मेरी सेवा अवधि माह की शेष है, जो अवधि 60/84/180/120 माह से कम है। मैं यह स्वीकृति पत्र संस्था कों स्वेच्छा से लिखकर दे रहा हूँ कि यदि संस्था मुझे ऋण आवेदन अनुसार रु. का ऋण स्वीकृत करती है तो मैं शेष सेवा अवधि में ऋण की पूरी राशि मय ब्याज के जमा करूँगा। मेरे मासिक वेतन से उपरोक्त कथनानुसार कटौत्रा करके निर्धारित मासिक किश्तें मय ब्याज के वसूली करने हेतु संस्था को सहमति प्रदान करता हूँ। अद्यतन वेतन पत्रक के आधार पर यदि मुझे प्राप्त योग्य वेतन से संस्था द्वारा निर्धारित किश्त कटौत्रों की स्थिति नहीं बनती है तो मेरे ऋण आवेदन की राशि उसी अनुपात में ऋण की रकम कम करने का अधिकार भी मैं संस्था को प्रदान करता हूँ। अतः ऋण आवेदन पत्र की पात्रतानुसार स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

गवाह

हस्ताक्षर :

नाम :

पद :

स्थान :

दिनांक :

शपथकर्ता (ऋणी)

हस्ताक्षर :

नाम :

पद :

स्थान :

दिनांक :